कोर्ट ऑफ रेवेन्यू खंडपीठ रीवा

61

न्यायालय श्रीमान् [struck] महोदय रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

342 / 24.8.15

R 5004-II/15

Rs. 15

रामकलेश कोल तनय श्री मंगल कोल, उम्र लगभग 32 वर्ष, पेशा- मजदूरी, निवासी ग्राम- टीकर, (बरहा टोला) तह0 हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

.... आवेदक

बनाम

भूपेन्द्र कुशवाहा तनय श्री शुभकरण काछी, उम्र- 21 वर्ष, पेशा- विद्यार्थी,/कृषि, निवासी ग्राम- टीकर, (बरहा टोला) तह0 हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

.... अनावेदक

श्री ... श्रीवास्तव एड के द्वारा आज दिनांक 24.8.15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़, तह0 हुजूर के राजस्व प्रकरण क्रमांक- 224/बी121/13-14 में किये गये आदेश दिनांक 30/5/2015 एवं उसी से सम्बद्ध अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, जिला रीवा के आदेश दिनांक 25/6/2015 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू- राजस्व संहिता के अन्तर्गत ।

मान्यवर,

पुनरीक्षण निम्न विन्दुओं पर प्रस्तुत की जा रही है:-

1. यह कि ग्राम टीकर तहसील- हुजूर, जिला रीवा के भूमि खसरा क्रमांक- 2524 जो सीलिंग एक्ट के तहत म0प्र0 शासन के नाम से दर्ज हुई थी जिसको पूर्व में भूमिहीन आदिवासियों को उक्त भूमि अवंटन की गई थी। उक्त सीलिंग में छोड़ी गई भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय नही हो सकती, किन्तु आवेदक भूपेन्द्र कुशवाहा के पिता शुभकरण काछी द्वारा कूट रचित विक्रय पत्र निष्पादित कराकर पटवारी एवं तहसील-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R..5004–II/15 जिला–रीवा

रामकलेश कोल/ भूपेन्द्र कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
18.01.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	